संख्याः 438(1)/69-1-98-5 (एस.जे.)/98

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक, 24 मार्च, 1998

नगरीय रोज़गार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग।

विषयः "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार" के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1945/69-1-97-01 (एस.जे.)/97, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 से लागू स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना की उपयोजना नगरीय स्वरोजगार सृजन (यू.एस.ई.पी.) का कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के शहरी स्वरोज़गार कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार हेतु निम्न कार्यकारी निर्देश जारी किये जा रहें हैं।

उद्देश्यः–

नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोज़गार एवं आंशिक रूप से रोज़गार प्राप्त युवाओं की ऐसे लघु उद्यम जैसे सेवा कार्य छोटे-छोटे व्यापार एवं उत्पादन आदि की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिसकी उस क्षेत्र में अधिक मांग हो। प्रत्येक नगर द्वारा ऐसी परियोजनाओं गतिविधियों की सूची मूल्य, बिकने की क्षमता एवं आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख कर तैयार की जायेगी। योजनान्तर्गत नगरीय बेरोज़गार युवाओं को उपरोक्त कार्य करने, अच्छे वेतन पर रोज़गार प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रस्तावित है।

विशेष बलः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा

महिलाओं, विकलांगों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित ऐसे ही अन्य वर्गो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। महिला लाभार्थियों का प्रतिशत इस कार्यक्रम में 30% से कम नहीं होगा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सम्पूर्ण जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में अवश्य लाभ मिलेगा। विकलांगों हेतु 3% आरक्षण इस कार्यक्रम में किया जाय।

कार्यक्षेत्रः–

1. यह कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक शहरी कस्बों में लागू होगा।
2. यह कार्यक्रम शहरी गरीब समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में लागू होगा।

पात्रताः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वही व्यक्ति सहायता के पात्र होंगे जिनकी परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत मासिक आय रु. 320.84 से अधिक न हो। लाभार्थी को नगर क्षेत्र का मूल निवासी होना अथवा उसका नगर क्षेत्र में तीन वर्षों से लगातार आवासी होना आवश्यक होगा। साथ ही आवेदन कर्ता के पास राशन कार्ड का होना जिसमें उसका तथा उसके परिवार के सदस्यों का स्पष्ट उल्लेख हो, भी आवश्यक होगा। आय प्रमाण-पत्र नगर निगमों वाले नगर हेतु मुख्य नगर अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, नगर परिषदों/पंचायतों के अधिशासी अधिकारी इसके अतिरिक्त आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार से भी प्राप्त किया जा सकता है।

लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीय बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक की नजर में दोषी नहीं होना चाहिए।

शैक्षिक योग्यताः–

यद्यपि इस योजना में कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं है फिर भी कक्षा-9 से अधिक पढ़े व्यक्ति को इस कार्यक्रम का लाभार्थी न बनाया जाय। ताकि प्रधानमंत्री रोज़गार से इसको पृथक किया जा सके।

चयनः–

उपर्युक्त लाभार्थियों का चयन घर-घर जाकर सर्वेक्षण के द्वारा किया जायेगा। गरीबी रेखा के आर्थिक मापदण्ड के अतिरिक्त गैर आर्थिक माप दण्डों को भी चयन करते समय उपयोग में लाया जायेगा।

सामुदायिक विकास समितियाँ अपने कार्य क्षेत्र में सर्वेक्षण पुस्तिकाओं से लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे यह सूची वरीयता क्रम में होगी जिसमें अतिनिर्धन (विधवा व तलाक शुदा महिलायें) भी होंगी इस सूची का विधिवत प्रकाशन किया जायेगा जिसकी एक सूची शहरी निर्धनता उपशमन प्रकोष्ठ कार्यालय में चस्पा की

जायेगी इसके बाद आवेदन पत्र भरवाकर सी.डी.एस. की अनुशंसा पर शहरी निर्धनता उपशमन कार्यालय के बैंकों को प्रेषित करने हेतु प्रेषित किये जायेगें। यह समितियाँ बैंकों को ऋण अदायगी में भी सहयोग करेंगी।

क्रिया-कलापों की प्रवृत्तिः–

क्रियाकलापों की उदाहरण स्वरूप सूची इस प्रकार हैः–

(क) कस्बा सेवाएं जिनके लिये किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है– चाय की दुकान, समाचार पत्र/मैगजीन की दुकान, आईसक्रीम बेचना, दुग्ध बेचना, पान/सिगरेट की दुकान, रिक्शा चलाना, फल/सब्जियाँ बेचना धुलाई कार्य आदि।

(ख) कस्बा सेवाएं जिनके लिये विशेष कौशल आवश्यक हैः– टेलिविजन/रेडियो/रेफ्रीजरेटर/टाइपराइटर/कूलर/साईकिल/आटोमोबाइल /डीजल मोटर/डीजल इंजिनस/घड़ी/इलेक्ट्रिकल घरेलू एप्लाइसेंस की मरम्मत, कैटरिंग, ड्राई क्लीनिंग, कुर्सियों के केनिंग, मोटर बांधना, जूता मरम्मत, बुक बाइंडिंग के साथ-साथ गृह सुधार मरम्मत/निर्माण जैसे प्लम्बिंग, काष्ठकारी, राजगीरी, रंग-रोगन और पालिश करना, टाइल बिछाना, शीशे लगाना, इलेक्ट्रिक आदि से संबंधित कौशल।

(ग) लघु उत्पादक इकाईयां जिनमें कौशल आवश्यक हैः– वाशिंग पावडर, अगरबत्ती, घड़ियां, गारमेंट्स, प्लास्टिक के खिलौने, फुटवियर, लकड़ी/स्टील फर्नीचर बनाना/का उत्पादन करना, साड़ी प्रिटिंग, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लोहारगीरी, बर्तन/स्टील फ्रेब्रीकेशन, खाद्य, प्रसंस्करण, वालपेन बनाना आदि।

(घ) कृषि परख एवं तत्संबंधी अन्य कार्यकलापों, लघु उद्योग सेवाएं, व्यवसायिक कार्य जैसे-जनरल मर्चेन्ट दुकान, किराना दुकान, भवन निर्माण सामग्री दुकान, रेडीमेड गारमेन्ट तथा डेरी इकाइयों आदि के लिए भी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

(च) यदि लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित व्यवसाय में पंजीकृत गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तथा इस आशय का उपयुक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है अब अन्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

(छ) ऐसे मामलों में भी प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होना चाहिए जिनमें लाभार्थी को पहले से ही कुम्हारी कला, मोचीगीरी, बढ़ईगीरी एवं लोहारी आदि का ज्ञान प्राप्त हो किन्तु इस बिन्दु को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बैंक को प्रार्थना पत्र प्रेषित/संस्तुति करने से पूर्व सत्यापित कर लिया जाना चाहिए।

(ज) ऐसे मामलों में भी प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होना चाहिए यदि लाभार्थी द्वारा

कोई विशेष व्यवसाय/ट्रेड का ज्ञान प्राइवेट अथवा पब्लिक रजिस्टर्ड कम्पनी से अप्रेन्टिस अथवा कर्मचारी के रूप में प्राप्त किया गया हो। संबंधित कम्पनी का प्रमाण-पत्र किया जाना चाहिए।

(झ) संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षार्थियों को टूलकिट भी वितरित किये जा सकते हैं। टूल किट का अधिकतम मूल्य रू. 600/- होगा। उक्त निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य का टूल किट क्रय किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह होगी कि सीमा से अधिक की राशि किसी अन्य मद से लिया गया हो अथवा प्रशिक्षार्थी द्वारा स्वयं वहन किया गया हो। जहाँ तक सम्भव हो टूल-किट उन्नत किस्म के हों तथा अनुबंधित फर्म से क्रय किये जाय।

परियोजना लागतः–

इस स्कीम के तहत अकेले व्यक्ति के मामले में 50,000 रुपये तक की परियोजना शामिल है। यदि दो या उससे अधिक पात्र व्यक्ति साझेदारी करते हैं तो उच्च लागतों वाली परियोजना भी शामिल की जा सकेगी बशर्ते कि परियोजना लागत में प्रत्येक व्यक्ति का अंशदान 50,000 रुपये या उससे कम हो।

सब्सिडी :–

परियोजना लागत की 15% की दर से सबिसडी दी जायेगी जो अधिकतम 7,500 रुपये प्रति लाभार्थी होगी। यदि एक से अधिक लाभार्थी साझेदारी करते हैं और साझेदारी में कोई परियोजना स्थापित करते हैं तो परियोजना लागत में उनके अंशदान की 15% की दर से, जो 7,500 रुपये प्रति साझेदार तक सीमित होगी, सब्सिडी का हिसाब प्रत्येक साझेदार के लिए अलग से लगाया जायेगा।

अतिरिक्त (मार्जिन) रकमः–

प्रत्येक लाभार्थी परियोजना लागत का 5% अंशदान नगद करेगा जो अतिरिक्त रकम के रूप में होगी।

ऋणः–

समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के लिए ब्याज की दरों पर बैंक परियोजना लागत का 95% कम्पोजिट ऋण के रूप में स्वीकृत करेगा।

बैंक ऋणों पर बराबर (कोलेटरल) की गारण्टीः–

ऋणों के लिए किसी बराबर की गारण्टी की आवश्यकता नहीं होगी कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पत्तियाँ ही ऋण देने वाले बैंकों में बंधक/गिरवी/रेहन रखी जायेगी।

पुनर्भुगतानः–

बैंक द्वारा यथा निर्णित 6 से 18 माह तक के प्रारम्भिक बिलम्बन काल के बाद पुनर्भुगतान की अवधि उसे 7 वर्ष के भीतर होगी। सी.वी.ओ./नगर यू.पी.ई. कक्ष, नियमों के अनुसार ऋणों को पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सहायता देंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि यदि योजना के सुचारू/सफल क्रियान्वयन में कोई व्यवधान अथवा शंका हो तो वस्तुस्थिति से अपनी संस्तुति सहित तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उसका निराकरण किया जा सके।

भवदीय,

(एस. एन. झा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 439(1)/69-1-98-5 (एस.जे.)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
2. निदेशक, (पी.ई.एण्ड पी.ए.) भारत सरकार, शहरी कार्य और रोज़गार मंत्रालय, शहरी रोज़गार और गरीबी उपशमन विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, डूडा, उ.प्र.।
4. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एस.एन. झा)
प्रमुख सचिव।